अध्ययय 14
छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण परिपत्र

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

//अधिसूचना//

अटल नगर, दिनांक 23/7/2021

कमांक एफ 14–1/2009/आ.प्र../1–3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कं. 21 सन् 1994) की धारा 17(1) के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार एक स्थायी समिति का गठन करता है:–

1. श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, मान.मंत्री, आदिम जाति तथा अनूसूचित ज़ाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता विभाग – अध्यक्ष
2. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर, सदस्य विधान सभा – सदस्य
3. श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य विधान सभा – सदस्य
4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य विधान सभा – सदस्य
5. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य विधान सभा – सदस्य
6. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य विधान सभा – सदस्य
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग – सदस्य
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग – सदस्य सचिव

2/ उक्त समिति अधिनियम की धारा 18 में उल्लिखित निम्नांकित कृत्यों का पालन करेगी:–

(क) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एव अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन।

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के कार्यान्यन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उपायों का सुझाव देना।

(ग) ऐसे अन्य कृत्य जो राज्य सरकार समय–समय पर समिति को सौंपे।

3/ अधिनियम की धारा–17 (2) प्रावधानों के तहत् स्थायी समिति की कालावधि 2 वर्ष विहित की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग